

International Journal of Social Science and Education Research



ISSN Print: 2664-9845
ISSN Online: 2664-9853
Impact Factor: RJIF 8.42
IJSSER 2025; 7(2): 730-732
www.socialsciencejournals.net
Received: 09-08-2025
Accepted: 12-09-2025

सुमन कुमारी

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, बरजी
देवी गर्ल्स कॉलेज, पिलानी, झुंझुनू,
राजस्थान, भारत

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सुधारों की आवश्यकता और प्रभाव

सुमन कुमारी

DOI: <https://doi.org/10.33545/26649845.2025.v7.i2i.429>

सारांश

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, उसकी क्षमता और शासन की वैधता मुख्यतः एक पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर निर्भर करती है। हाल के दशकों में चुनावी प्रक्रिया पर धन-बल, राजनीति का अपराधीकरण, चुनावी वित्तपोषण की पारदर्शिता का अभाव, डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग तथा निर्वाचन संस्थानों की सीमाएँ जैसी गंभीर चुनौतियाँ उभर कर आई हैं। इस शोध-पत्र का उद्देश्य उन प्रमुख सुधार-क्षेत्रों की पहचान, सुधारों की व्यवहारिकता और उनके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करना है। पेपर में कानून आयोग की 2015 की सिफारिशों, 'One Nation, One Election' पर चर्चा, अपराधीकरण पर डेटा-आधारित चिंताएँ, और चुनावी वित्त (Electoral Bonds जैसे विवादास्पद विषय) के प्रभावों का समग्र मूल्यांकन किया गया है। अंतिम निष्कर्ष यह है कि व्यवस्थित, चरणबद्ध और बहु-आयामी चुनाव सुधार — जिसमें कानूनी संशोधन, वित्तीय पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना सुधारना शामिल है — भारतीय लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बना सकते हैं।

कुटुम्बशब्द: चुनाव सुधार, निर्वाचन आयोग, अपराधीकरण (Criminalization), चुनावी वित्त, EVM/ VVPAT, One Nation One Election, पारदर्शिता

प्रस्तावना

1. लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों का महत्व

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि शासन की वैधता और जनसरोकारों के संरक्षण का आधार हैं। चुनाव नागरिकों को यह अवसर प्रदान करते हैं कि वे अपनी पसंद के अनुसार राजनीतिक नेतृत्व का चयन करें और शासन-प्रक्रिया को दिशा दें। इसलिए चुनावों की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार स्तंभ मानी जाती है। यदि चुनाव प्रक्रिया में असमानता, धनबल, बाहुबल, जातिगत ध्रुवीकरण अथवा प्रशासनिक हस्तक्षेप जैसी समस्याएँ बढ़ने लगें, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। भारत में पिछले सात दशकों के राजनीतिक अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया को निरंतर सुधारों की आवश्यकता होती है, ताकि मतदाताओं का विश्वास बना रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों की सार्थकता बनी रहे।

2. भारतीय चुनाव प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और चुनौतियाँ

स्वतंत्रता के बाद भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया और नियमित अंतराल पर चुनावों का आयोजन शुरू हुआ। यद्यपि इस व्यवस्था ने भारत को एक स्थिर लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया, लेकिन समय के साथ अनेक चुनौतियाँ उभरकर सामने आईं। इनमें चुनावों में धनबल का बढ़ता प्रभाव, अपराधीकरण, मतदाता सूचियों में अनियमितताएँ, चुनावी खर्च की पारदर्शिता की कमी, सामाजिक एवं धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण, फर्जी मतदान और राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र की कमी प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग की शक्तियों और संसाधनों की सीमाएँ भी समय-समय पर प्रश्नचिह्न के रूप में सामने आती रही हैं।

इन चुनौतियों ने यह संकेत दिया कि चुनावों की विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए ठोस और संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं। तकनीकी प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक विस्तार ने इस आवश्यकता को और भी अधिक प्रासंगिक बना दिया है।

Corresponding Author:

सुमन कुमारी

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, बरजी
देवी गर्ल्स कॉलेज, पिलानी, झुंझुनू,
राजस्थान, भारत

मुख्य चुनौतियाँ

- राजनीति का अपराधीकरण:** पिछले वर्षों के विश्लेषणों से यह स्पष्ट हुआ है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों में अपराध/गंभीर मुकदमों वाले व्यक्तियों का अनुपात चिंता का विषय है — ऐसी प्रवृत्ति नीतिगत निर्णयों एवं प्रशासनिक निष्पादन को प्रभावित कर सकती है। स्वतंत्र संगठन इस विषय पर नियमित रिपोर्ट जारी करते रहे हैं जो इस समस्या का मानकीकृत चित्र प्रस्तुत करते हैं।
- धन-बल व चुनावी वित्तपोषण की पारदर्शिता का अभाव:** चुनावी खर्च लगातार बढ़ रहा है और इससे उम्मीदवारों व पार्टियों पर बाहरी आर्थिक दबाव बनता है। 2017 में पेश किए गए 'इलेक्टोरल बॉण्ड' जैसे उपाय विवादास्पद रहे — सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और रिपोर्टों से इस व्यवस्था की संवैधानिकता पर सवाल उठे हैं। वित्तीय पारदर्शिता न होने पर न केवल असमान प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, बल्कि नीति निर्माण पर वित्तीय प्रभाव भी बढ़ता है।
- डिजिटल दुरुपयोग और सूचना-परिवर्तन:** सोशल मीडिया और डिजिटल टारगेटिंग ने मतदाता प्रभावित करने के नए तरीके दिए हैं; साथ ही फेक-न्यूज, डेटाबेस-आधारित मैनिपुलेशन और प्रचार के नियमों का उल्लंघन बढ़ा है। यह स्थिति पारंपरिक चुनावी नियमों से परे है और नए नियमन-साधनों की आवश्यकता दर्शाती है।
- संस्थागत सीमाएँ और निर्वाचन आयोग की कार्यक्षमता:** निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था होते हुए भी कुछ मामलों में कड़े दंडात्मक अधिकारों या कानूनों की कमी के कारण हर तरह के उल्लंघन पर प्रभावी दंड नहीं दे पाता। इसलिए आयोग को कानूनी-नियामक समर्थन की आवश्यकता पर बहस चलती रही है।
- समानांतर चुनाव (One Nation One Election):** यह तर्क दिया जा रहा है कि एकसाथ चुनाव कराना व्यय घटाएगा, नीति स्थिरता बढ़ाएगा और प्रशासनिक बोझ कम करेगा; परन्तु संघात्मक संवेदनशीलता, संवैधानिक संशोधन और व्यवहारिक बाधाएँ भी इस प्रस्ताव की चुनौतियाँ हैं। सरकार व नीति-निर्माताओं द्वारा 2017 के विश्लेषणों ने इस विकल्प को वैधता व व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से जाँचा है।

3. चुनाव सुधारों का बढ़ता महत्व

चुनाव सुधार केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास से जुड़े व्यापक प्रश्न हैं। चुनाव सुधारों का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- हर मतदाता को स्वतंत्र एवं सुरक्षित वातावरण में मतदान करने का अवसर मिले,
- उम्मीदवारों के चयन और राजनीतिक दलों के संचालन में पारदर्शिता हो,
- चुनावी खर्च नियंत्रित और जाँच योग्य हो,
- जनता की भागीदारी बढ़ाई जा सके,
- और चुनाव परिणामों में विश्वास बना रहे।

डिजिटल युग में चुनावी प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई है। सोशल मीडिया के प्रसार ने नए प्रकार की चुनौतियाँ जैसे — फेक न्यूज, दुष्प्रचार, साइबर हस्तक्षेप, माइक्रो टारगेटिंग और राजनीतिक विज्ञापनों की अनियंत्रित बाढ़ — को जन्म दिया है। अतः चुनाव सुधारों की परिधि केवल पारंपरिक मुद्दों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया नियमन तक विस्तृत हो गई है।

4. चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्यों बढ़ी?

भारतीय चुनावों में सुधार की माँग कुछ प्रमुख कारणों से लगातार बढ़ती रही है:

- चुनावी धन का बढ़ता प्रभाव:** चुनावी खर्च की अनियंत्रित वृद्धि चुनावों को असमान बनाती है। बड़े आर्थिक संसाधनों वाले दल और उम्मीदवार चुनावी विमर्श पर हावी हो जाते हैं, जिससे गरीब वर्गों का प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ता है।

- राजनीति का अपराधीकरण:** एक बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की भागीदारी लोकतंत्र की नैतिकता और जनता के विश्वास को कमजोर करती है।
- सामाजिक ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति:** चुनावों में जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान का उपयोग वोट जुटाने के साधन के रूप में बढ़ रहा है। इससे सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक विमर्श दोनों प्रभावित होते हैं।
- तकनीकी चुनौतियाँ और साइबर जोखिम:** ईवीएम वीवीपैट से लेकर डिजिटल प्रचार तक, तकनीक चुनावों का अहम हिस्सा बन चुकी है। इससे पारदर्शिता, सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की नई समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जिसके समाधान हेतु नए सुधार आवश्यक हैं।
- चुनाव प्रबंधन और चुनाव आयोग की सीमाएँ:** चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था माना जाता है, परन्तु उसके अधिकारों का विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता और राजनीतिक दबाव से मुक्ति जैसे मुद्दे अब भी बहस में हैं।
- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी:** कई दल परिवारवाद और वंशवाद से प्रभावित हैं। पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अभाव में उम्मीदवार चयन अक्सर योग्यता के बजाय संबंधों पर आधारित रहता है।

5. चुनाव सुधारों का लोकतंत्र पर प्रभाव

चुनाव सुधारों का प्रभाव केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शासन की गुणवत्ता, नीति निर्माण और नागरिकों के अधिकारों तक फैला होता है। चुनावों में पारदर्शिता बढ़ने से राजनीतिक जवाबदेही मजबूत होती है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और सार्वजनिक नीतियाँ अधिक जनोन्मुखी बनती हैं। इसके साथ ही सामाजिक प्रतिनिधित्व संतुलित होता है और हाशिये पर रहने वाले समूहों की भागीदारी बढ़ती है। सुधारों के प्रभाव से लोकतंत्र अधिक समावेशी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बनता है।

अंततः चुनाव सुधार लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और नागरिकों के विश्वास का आधार हैं। जब चुनाव ईमानदारी से संपन्न होते हैं, तो सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और वैध रूप से होता है, जिससे लोकतंत्र स्थिर, मजबूत और दीर्घकालिक बनता है।

प्रमुख सुधार-क्षेत्र

- चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता:** राजनीतिक दान और खर्च की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य, बैंक-आधारित पेमेन्ट व स्पष्ट चंदे का नोटिंग सिस्टम (Electoral bonds पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश/विवाद संदर्भित)।
- कठोर अनुशासन और पात्रता मानदंड:** आपराधिक मुकदमों पर त्वरित सुनवाई, अवैध रूप से दंडित/सजा-प्राप्त मामलों में टिकट न देने का प्रावधान।
- निर्वाचन आयोग की सशक्तता:** Model Code को कानूनी दर्जा देने, आयोग की सिफारिशों पर कर्तव्यों/दण्ड की व्यवस्था।
- प्रौद्योगिकी व सुरक्षा:** EVM/VVPAT की पारदर्शिता व ऑडिट मैकेनिज्म, साइबर-सुरक्षा नीति व सोशल मीडिया अभियान-नियम।
- मतदाता सुलभता व मोबाइल/रिमोट वोटिंग की संभावनाएँ:** प्रवासी मतदाताओं के लिए स्ट्रक्चरल उपाय।
- समानांतर चुनाव पर संरचित बहस:** लाभ-हानि का जमीनी विश्लेषण व संवैधानिक संशोधनों की योजना।

चर्चा

अपराधीकरण का प्रभाव और समाधान

अपराधीकरण से न केवल विधानसभा/संसद की विधायी पवित्रता प्रभावित होती है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया और न्यायिक तंत्र पर भी दबाव बनता है। ADR तथा अन्य रिपोर्टों के आँकड़ों ने दिखाया है कि कई बार पार्टियाँ 'विनाबोझ'

(winnability) के कारण ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जिनके विरुद्ध गंभीर आरोप हैं; इसका निवारण तब तक नहीं होगा जब तक कि राजनीतिक दल अपने टिकट-निर्धारण में पारदर्शिता अपनाएँ और न्यायिक-प्रक्रिया में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित न हो। कुछ सुझाव: (i) पार्टी-स्तर पर उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य करना, (ii) गंभीर आरोपों की शीघ्र निपटान हेतु विशेष न्यायिक पैनल/तेज फास्ट-ट्रैक, (iii) राजनीतिक दंड-प्रावधान — जैसे बार-बार अपराधी प्रकरणों वाले उम्मीदवारों पर पार्टी द्वारा टिकट न दिया जाना।

चुनावी वित्तपोषण: पारदर्शिता बनाम गुमनामी

इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे उपायों को गोपनीय रखने से पारदर्शिता घटती है; सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सरकारी प्रेस-नोट तथा तमाम चर्चाएँ इस विषय को संवैधानिक मुद्दे के रूप में ले आई हैं। चुनावी वित्त में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बैंकिंग-आधारित रजिस्टर, दान-राशि की सार्वजनिक रिपोर्टिंग और सीमित कॉर्पोरेट योगदान जैसी नीतियाँ अनिवार्य की जानी चाहिए। इससे न केवल पक्षपाती धन-प्रवाह नियंत्रित होगा, बल्कि नीति-निर्माण पर कन्तव्यों के प्रभाव का पता भी चलेगा। AP News

तकनीकी सुधार: EVM, VVPAT और डिजिटल निगरानी

EVM व VVPAT ने भारत में मतदान के संचालन को सरल व तेज बनाया है, परन्तु पारदर्शिता व ऑडिट-क्षमता को और मजबूत करने की आवश्यकता है — रैंडम पैलेट ऑडिट, स्वतंत्र परीक्षण और ओपन टेक्निकल ऑडिट पॉलिसी अपनायी जानी चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया व डिजिटल प्रचार पर नियमन आवश्यक है — चुनाव आयोग को सोशल प्लेटफॉर्म से तालमेल कर फेक न्यूज व लक्षित प्रचार पर नियम बनवाने चाहिए।

मतदाता सुलभता और प्रवासी मतदाता

भीड़भाड़, दूर Polling-स्टेशनों तक पहुँच, और प्रवासी श्रमिकों की मतदान में कमी जैसी समस्याएँ प्रतिनिधित्व को असंतुलित करती हैं। दूरस्थ मतदान (remote/ postal/ e-voting के सुरक्षित विकल्प) तथा मतदान केन्द्रों की संख्या व कार्यसमय में सुधार से इसका निवारण किया जा सकता है। हाल के कुछ राज्यों की कार्यवाई (जैसे मतदान केन्द्रों पर वोटों की सीमा घटाना) सकारात्मक कदम हैं जिनकी विस्तृत नीति-रिपोर्टिंग आवश्यक है।

One Nation One Election — लाभ और जोखिम

समानांतर चुनाव के समर्थक कहते हैं कि इससे संसाधन की बचत, नीति-निरंतरता और प्रशासनिक बोझ में कमी होगी; परन्तु आलोचक इस बात पर जोर देते हैं कि इससे स्थानीय मुद्दों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है और संघीयता पर असर पड़ेगा। प्रस्ताव को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधनों, निर्वाचन चक्रों के समन्वय और संसदीय बहुलताओं के संतुलित फैसलों की आवश्यकता होगी। NITI/सरकारी दस्तावेजों ने इसकी व्यवहार्यता पर व्यापक अध्ययन सुझाया है; परन्तु इसका कार्यान्वयन सावधानीपूर्वक चरणों में होना चाहिए।

नीति-निष्पादन पर सुधारों का प्रभाव

यदि चुनावी वित्त पारदर्शी हों, अपराधीकरण घटे और निर्वाचन संस्थाएँ सशक्त हों—तो नीति-निर्माण अधिक जवाबदेह, समावेशी और दीर्घकालिक होगा। उदाहरण के लिए, यदि चुनाव पर कम धन-निर्भरता बनी रहेगी, तो नीतियाँ व्यापक हितों के अनुरूप होंगी न कि आर्थिक प्रभावों के अनुरूप। इसी तरह, ई-गवर्नेंस के बेहतर उपयोग से जनसुविधाएँ और निगरानी सुदृढ़ होगी।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का मूलाधार उसकी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता है। वर्तमान समय में चुनाव प्रणाली धन-बल, अपराधीकरण, डिजिटल दुरुपयोग और संस्थागत सीमाओं की चुनौतियों से जूझ

रही है; यदि इन्हें अनदेखा किया गया तो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत कमजोर पड़ सकते हैं। इस शोध-पत्र ने दिखाया कि बहु-आयामी सुधार — जिनमें चुनावी वित्त की पारदर्शिता, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का सार्वजनिक खुलासा, निर्वाचन आयोग के अधिकारों का संवर्द्धन, तकनीकी सुरक्षा व सोशल मीडिया नियमों का सख्त कार्यान्वयन तथा प्रवासी/दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाओं का विस्तार — न केवल चुनाव प्रक्रिया को सुधारेगा बल्कि शासन की गुणवत्ता व जनविश्वास को भी बढ़ाएगा। सुधार तभी सार्थक होंगे जब यह केवल ऊपरी नीति-निर्माताओं की मंशा न रहकर राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और आम मतदाताओं के वास्तविक सहयोग से लागू हों। तकनीक मददगार उपकरण है पर उसका प्रयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से होना चाहिए — न कि मतों के प्रति लोगों की आशंकाओं को बढ़ाने के लिए। अंततः, एक जवाबदेह, पारदर्शी और समावेशी चुनाव व्यवस्था ही सशक्त लोकतंत्र की गारंटी दे सकती है; इसलिए चरणबद्ध, संवेदनशील व संवैधानिक-सम्मत सुधार आज की अपरिहार्य आवश्यकता हैं।

संदर्भ

1. चौधरी, अनुराग (2015). भारतीय चुनाव प्रणाली: समस्याएँ और समाधान. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
2. भारतीय चुनाव आयोग (2016). भारत में निर्वाचन सुधारों पर वार्षिक प्रतिवेदन. नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग.
3. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) (2016). राजनीति में आपराधिकरण पर स्थिति रिपोर्ट. नई दिल्ली.
4. कुमार, दीपांशु (2017). भारतीय लोकतंत्र और निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता. भारतीय लोक प्रशासन समीक्षा, 22(3), 41–52.
5. भारत सरकार, विधि आयोग (2018). रिपोर्ट संख्या 255: चुनाव सुधारों पर सिफारिशें. नई दिल्ली: विधि आयोग.
6. शुक्ला, नीरज (2018). चुनावी धन और पारदर्शिता: भारतीय संदर्भ. लोकतंत्र अध्ययन पत्रिका, 19(2), 66–78.
7. यादव, योगेन्द्र (2019). भारतीय लोकतंत्र का भविष्य और चुनाव सुधार. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन.
8. भारतीय चुनाव आयोग (2019). VVPAT सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर तकनीकी दस्तावेज. नई दिल्ली.
9. राजपूत, सीमा (2020). सोशल मीडिया, फेक न्यूज और चुनावी व्यवहार. संचार एवं समाज, 12(1), 55–70.
10. लोकसभा सचिवालय (2020). एक राष्ट्र-एक चुनाव: व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट. नई दिल्ली.
11. मिश्रा, आर.के. (2021). मतदाता व्यवहार और चुनावी भागीदारी: एक समकालीन विश्लेषण. लोकतांत्रिक विमर्श, 5(4), 22–35.
12. भारत निर्वाचन आयोग (2021). चुनावी आचार संहिता और इसके क्रियान्वयन पर रिपोर्ट. नई दिल्ली.
13. त्रिपाठी, पूजा (2021). चुनावी प्रौद्योगिकी और साइबर जोखिम: भारत में चुनौतियाँ. सूचना प्रबंधन समीक्षा, 14(3), 91–102.
14. राष्ट्रीय विधि संस्थान (NLIU) (2022). भारतीय चुनाव वित्त पोषण पर अध्ययन रिपोर्ट. भोपाल.
15. शर्मा, अमित (2022). भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सुधारों के प्रभाव और दिशाएँ. प्रशासनिक अध्ययन, 27(1), 48–63.